न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
दरवाजा मालिक (इन्द्रदेव साह)

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,
केस का प्रकार–

केस संख्या– 466/2020–21,
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त दरवाजा के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक 216/म0नि0 एवं दिनांक–10.06.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 498/2019, में जप्त देशी शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त दरवाजा घर के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–लतहा नरियार वार्ड नं0 03, थाना–सदर, घटना की तिथि– 10.10.2019 के साथ वर्णित है कि–

"गुप्त सूचना के आधार पर अपने अधीनस्थ उत्पाद बल प्रतिनियुक्त सैफ बल व बिहार गृह रक्षकों के साथ उपयुक्त अंकित स्थान पर तिथि व समय नौ बजे रात्रि में (लगभग) उपस्थित गवाहो के समक्ष अपनी व अपने टीम के सदस्यो की जमा तलाशी उपरान्त अभियुक्त के कब्जे के दरवाजा पर बालु से ढ़का हुआ प्रन्द्रह ली0 क्षमता वाले प्लास्टिक के गैलन में लगभग 10(दस) ली0 अवैध चुलाई शराब बरामद हुआ। बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30(ए) के अन्तर्गत व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जप्त प्रदर्श का नमूना तैयार किया गया, जप्ती सुची की एक प्रति अभियुक्त को दिया गया।"

प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त शराब के विनिष्टीकरण एवं जप्त दरवाजा के अधिहरण करने हेतु अनुरोघ किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त दरवाजा के अधिहरण के बिन्दु पर दरवाजा मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

दरवाजा मालिक इन्द्रदेव साह, पिता– स्व0 भूमिसाह, साकिन– लतहा वार्ड नं०– 03, थाना– सदर, जिला– सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

दरवाजा मालिक का कहना है कि वे एक गरीब टेम्पू ड्राईवर

है। तथाकथित बरामद अवैध उत्पाद वस्तु से इनका कोई लेना–देना नहीं है और न ही ये अवैध उत्पाद वस्तु के किसी कारोबार में संलग्न हैं। उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज स्पेशल वाद 498/2019 धारा 30(ए) में जप्ती सूची में अंकित तथ्य कि अभियुक्त (विपक्षी) के कब्जे का दरवाजा पर बालू से ढ़का हुआ पन्द्रह लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के गैलन में लगभग 10(दस) लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद हुआ के संबंध में इनका कहना है कि इनके खुले दरवाजे जिसके सामने उत्तर–दक्षिण पक्की सरकारी सड़क है तथा इनके दरबाजे के बगल से भी पगडण्डी वाला आम रास्ता है जो हमेशा चालू हालात में रहता है तथा खुले दरवाजे पर विपक्षी का रोड सटे बालू रखा हुआ था। किसी असामाजिक तत्व के द्वारा मुझे परेशान करने के नियत से उक्त रखे बालू के अन्दर पन्द्रह लीटर क्षमता वाले गैलन में दस लीटर चुलाई शराब रख दिया गया था जिसे उत्पाद विभाग के द्वारा बरामद किया गया।

इनका आगे कहना है कि इनके स्वत्व और दखल कब्जा के क्षेत्र से किसी तरह का अवैध उत्पाद वस्तु बरामद नहीं हुआ है। उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज वाद में ये जमानत पर हैं और मामला विचाराधीन है। उत्पाद विभाग द्वारा समर्पित प्रस्ताव में तथाकथित दरवाजा का कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है और न ही तथाकथित दरबाजा का खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, अंचल, मौजा, कुछ भी अंकित है।

इनका पुनः कहना है कि स्थानीय गंदी राजनीति और व्यसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण इन्हें झुठा फसाया गया है और एक अस्पष्ट, अनिश्चित और अनियत अधिहरण प्रस्ताव का प्रतिवेदन न्यायालय को भेजा गया है, जो चलने योग्य नहीं है। इनके ओर से मुख्यतः इन्हीं उक्त तथ्यों के साथ स्वयं को निर्दोष बताकर अधिहरण प्रस्ताव को अनिश्चितता और अस्पष्टता के आधार पर खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि जप्त दरवाजा का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण एवं बेचने में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त दरवाजा को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि जप्त किये गये परिसर के संबंध में स्पष्ट विवरणी अधिहरण प्रस्ताव में अंकित नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 1059 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 23/12/20

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

23.12.20

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
23/12/20